

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र ।

पत्रांक: 447 / रेनुकूट / 15-31 दिनांक, रेनुकूट, 06-08, 2021

सेवा में,

सी0ओ0ओ0

मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0

रेनुकूट-सोनभद्र ।

विषय:

जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत मे0 रेणुसागर पावर कम्पनी को ऐड डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 10 वर्षों की लीज (21.06.2009 से 20.06.2019 तक के लिये) दी गयी 61.2348 हे0 वनभूमि के लीज का पुनः 10 वर्षों हेतु (दिनांक- 21.06.2019 से 20.06.2029 तक) नवीनीकरण के संबंध में ।

संदर्भ:

- 1- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, एफ0सी0 डिविजन, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरग बाग रोड अलीगंज नई दिल्ली की फाईल संख्या- 8-05 / 1993-एफ0सी0(पी0टी0.1) दिनांक- 15.07.2021
- 2- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या- 200 / 11-सी FP/UP/IND/39403/2019 दिनांक-16.07.2021
- 3- इस कार्यालय का पत्रांक- 183 / रेनुकूट / 15-31 दिनांक- 17.07.2021
- 4- संस्थान का पत्र दिनांक- 28.07.2021
- 5- इस कार्यालय का पत्रांक- 379 / रेनुकूट / 15-31 दिनांक- 30.07.2021
- 6- संस्थान का पत्र दिनांक- 02.08.2021

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें । प्रसंगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा माँगी गयी वांछित सूचना/अभिलेख टेबुलर फार्म के माध्यम से पाँच प्रतियों में उपलब्ध कराने हेतु संस्थान से अनुरोध किया गया है । संस्थान द्वारा प्रसंगत प्रकरण में पूर्ण सूचना/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिसके कारण भारत सरकार को प्रेषित करने में अनावश्यक रूप से विलम्ब हो रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रसंगत प्रकरण को अपने संज्ञान में लेते हुए प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग से वांछित अभिलेख प्राप्त कराते हुए भारत सरकार द्वारा माँगी गयी वांछित सूचना/अभिलेख टेबुलर फार्म में बिन्दुवार उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित की जा सकें ।

भवदीय

(मनसोहन) मिश्र
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

447

संख्या- अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि: प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं इस अण्डय से प्रेषित कि प्रसंगत प्रकरण में 57.57 हे0 गैर वन भूमि आपके वन प्रभाग अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है । उपलब्ध कराये गये गैर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी कराये जाने के संबंध में हुई प्रगति से आवश्यक अभिलेखों सहित अवगत कराने का कष्ट करें ताकि भारत सरकार द्वारा माँगी गयी वांछित सूचना/अभिलेख उच्च स्तर के माध्यम से प्रेषित की जा सकें ।

(मनसोहन) मिश्र
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट